

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-
संस्था द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के मुकदमों की सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :-

1. कार्यवाही रजिस्टर ।
2. स्टाक रजिस्टर ।
3. सदस्यता रजिस्टर ।
4. कैशबुक ।

16. विघटन :-

संस्था के विघटन व विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक: 25-2-07


सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

शान कुमार

सत्यप्रतिलिपि

पुन्य



सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
सोसाटीज एवं विद्वान
स. प्र. इलाहाबाद

3. सचिव :

1. संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा ।
2. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन के आदेश निर्गत करने का अधिकार होगा
3. सरथा में समस्त कार्यों के मुख्यपालक के रूप में कार्य करना ।
4. समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा धनराशियों को सुरक्षित अभिरक्षा तथा विनियोजन का प्रबन्ध करना ।
5. कर्मचारियों की वेतनवृद्धियों तथा देय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना तथा अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों के लिये भुगतान स्वीकृत करना
6. संस्थान से संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित संवैधानिक, समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर हस्ताक्षर करना
7. संस्थान के मामलों से सम्बन्धित समस्त विधिक कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाहियों एवं मामलों में उनकी ओर से अभिकथन करना तथा उन्हें सत्यापित करना ।
8. संस्था की बैठक और संस्था के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रों तथा पुस्तकों का अभिलेखन सुनिश्चित करना ।
9. अनुशासनहीनता बरतने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

4. उपसचिव :

सचिव की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को सम्पादित करना ।

5. कोषाध्यक्ष :

1. संस्था बिल बाउचरों का भुगतान करना ।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
3. संस्था आय व्यय को लिपिबद्ध करना ।

6. उपकोषाध्यक्ष :

कोषाध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके द्वारा निर्देशित कार्यों को पूर्ण करना ।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्थान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया, परिवर्तन एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी


12. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा खाते का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा संचालित होगा ।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा

सत्य प्रतिलिपि



सहायक निबंधक
कार्य सौकराश्री एवं चिट्ठे
उ० प्र० इलाहाबाद

Handwritten signature in blue ink.

21/11/12

21/11/12

Handwritten signature in blue ink.

4. अन्य वे निर्णय लेना जिसे प्रबन्धकारिणी समिति न ले सके ।
5. प्रबन्धकारिणी के क्रिया-कलापों की पुष्टि करना तथा आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन देना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन :- साधारण सभा के द्वारा प्रबन्धसमिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, उपकोषाध्यक्ष एक, तथा 5 सदस्य होंगे । इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी ।

बैठकें : प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी । विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकें की सूचना 24 घंटे पूर्व देकर बुलाई जा सकती है ।

गणपूर्ति :- कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित होगी बहुमत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि : संस्था में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिये की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य:-

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना ।
2. संस्था के विवादों को सुलझाना ।
3. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना ।
4. संस्था के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को आतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपना ।
5. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग, खादी बोर्ड राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना तथा उसको उद्देश्यों की पूर्ति पर व्यय करना ।

सत्य प्रति लिपि

महाराष्ट्र प्रबन्धक

कर्म क्षेत्राधिकार एवं बिद्वान

उ० प्र० इलाहाबाद

(Handwritten signature)


कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. अध्यक्ष :
 1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
 2. बैठक के लिये तिथि का अनुमोदन और बैठक को स्थगित करना ।
 3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना ।
 4. त्याग पत्र स्वीकार करना ।

2. उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सम्पूर्ण कार्यों को सम्पादित करना ।



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

नियमावली

1. संस्था का नाम : राम दुलार चैरिटेबल सोसाइटी ।
2. संस्था का पता : 189, शॉतिपुरम् कालोनी, सेक्टर-डी,
फाफामऊ, इलाहाबाद ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे
5. संस्था की सदस्यता एवं उनके वर्ग :
(अ) आजीवन सदस्य:- जो व्यक्ति संस्था को रू0 1000/- एक मुश्त दान स्वरूप देता है तो वह संस्था का आजीवन सदस्य रहेगा ।
(ब) सामान्य सदस्य:- जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 100/- देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा ।

6. सदस्यता की समाप्ति :-
 1. मृत्यु हो जाने पर ।
 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
 4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार हो जाने पर ।
 5. नियामित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
 6. अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर चारित्रिक दोष के कारण दण्डित होने पर ।
 7. लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर ।
7. संस्था के अंग :-
 1. साधारण सभा ।
 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

साधारण सभा :-

गठन: सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

बैठक: सामान्य बैठक में एक बार आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है

सूचना अवधि: सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

गणपूर्ति: साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 होगा ।

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जाएगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन व कार्यवाही करना ।

3. वार्षिक आय-व्यय बजट को पारित करना ।

सत्यं प्रति लिपि

संस्था के अध्यक्ष एवं निदेशक
उ० न० इलाहाबाद

वार्षिक अधिवेशन की तिथि:

साधारण सभा के कर्तव्य:

राम दुलार

1-5 दल

pry